फद अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत .... मुकाम ....
.... बनाम ....
करम मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.12.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन मौजा नरसिंहपुरा प.ह. मघोपुर की आराजी स. 312, 357, 303 कुल किता-3 कुल रकबा- 0.2700 हैं. भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की होकर विपक्षी स. 1 से 5 के नाम दर्ज है भू-प्रबन्ध पूर्व के आराजी स. 140, 184, एवं 192 प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम मूल वाद के प्रतिवादी स. 6 से 10 तक के पूर्वजो के साथ दर्ज रिकार्ड थी। जो भू प्रबंध पश्चात बिना किसी वैध एवं विधिक आदेश के भू-प्रबन्ध कर्मचारीयो ने विपक्षी स. 1 से 5 के पूर्वजों के नाम नवीन आराजी स. 312, 357, एवं 303 के रूप मे दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि अर्सा कदीम से प्रार्थीगण के काब्जे काश्त मे चली आरही है। विपक्षी गण ने प्रार्थीगण को दिनांक 9-11-20 को धमकी दी कि उक्त वर्णित भूमि हमारे नाम पर है जिसे हम छिन कर रहेगें अतः प्रा-पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस जवाब प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से किया है कि उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण का कोई सम्बध नही है और ना ही कोई कब्जा है। और ना ही कोई धमकी दी है। प्रार्थीगण ने आधी वंशावली दर्शायी है। उक्त वर्णित कृषि आराजी विपक्षीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है। इस लिए किसी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है इस कि ताईद मे न्यायिक दृष्टान्त RRT 2015 (1) पृष्ठ स. 633 व अन्य न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गयी, एवं पत्रावली का अवलोकन	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय …
	किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वंत 2072-2075 मे उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार विपक्षीगण है। उक्त वर्णित आराजी का दावा धो.स० 11 व स्थाई निषेधाज्ञा का है। वकील प्रार्थी के कथन के अनुसार भू: प्रबन्ध पूर्व के आराजी स: 184, 140, एवं 192 प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम व मूल वाद के प्रतिवादी स: 6 से 10 तक पूर्वजो के साथ दर्ज रेकार्ड थी। जो भू-प्रबंध पश्चात बिना किसी वैध एवं विधिक आदेश के भू: प्रबन्ध कर्मचारीयो ने विपक्षी स: 1 से 5 के पूर्वजों के नाम नवीन आराजी स: 312, 357, एवं 303 के रूप मे दर्ज कर दी, यह तथ्य मूलवाद के अंतिम निस्तारण मे साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर किया जावेगा। इस लिए मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक मौजा नरसिंहपुरा प: ह: माधोपुर की आराजी स: 312, 357, 303, कुल किता 3 कुल रकबा 0.2700 है: भूमि व रिकार्ड की यथास्थिति प्रार्थीगण व विपक्षीगण कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)